

# समिति गठन

कार्यालय आदेश

दिनांक : 01/09/2025

महाविद्यालय में कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न के निवारण, प्रतिपेध एवं शिकायत निवारण हेतु कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिपेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013 तथा यू.जी.सी. रेगुलेशन 2015 के प्रावधानों के अंतर्गत कमलाकांत शुक्ला इंस्टिट्यूट, देवरी रोड, भाटापारा (छ.ग.) में आंतरिक शिकायत निवारण एवं प्रतिपेध समिति (Internal Complaints Committee – ICC) का गठन निम्नानुसार किया जाता है-

\*\* कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न के संबंध में

आंतरिक शिकायत निवारण एवं प्रतिपेध समिति (ICC) का गठन\*\*

पीठासीन अधिकारी (Presiding Officer)

डॉ. शुषिमा कौशिक

(वरिष्ठ महिला प्राध्यापक)

मदस्य (शिक्षक वर्ग)

(i) डॉ. सुश्री भावना खेंवार

(ii) श्रीमती/डॉ. प्रमिला शर्मा

मदस्य (अशैक्षणिक / नॉन-टीचिंग कर्मचारी)

(i) श्रीमती कल्याणी वर्मा

(ii) श्री मेरवण व्यसवाल

गैर संस्थागत सदस्य (External Member)

श्रीमती कविता शर्मा, सामाजिक कार्यकर्ता

(सामाजिक कार्यकर्ता / एन.जी.ओ. प्रतिनिधि / महिला अधिकारों से संबंधित क्षेत्र)

छात्र सदस्य


(i) हेमा रात्रे, तनिका उग्रवाल (स्नातक)

(ii) उक्त समिति में कुल मदस्यों का न्यूनतम 50 प्रतिशत महिला सदस्य हैं। यह समिति कमलाकांत शुक्ला इंस्टिट्यूट, देवरी रोड, भाटापारा में कार्यरत महिला कर्मचारियों, छात्राओं एवं अन्य संबंधित व्यक्तियों के साथ होने वाले लैंगिक उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों के निवारण, जांच एवं प्रतिपेध हेतु अधिनियम 2013 एवं यू.जी.सी. के दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्य करेगी।

समिति को नियमानुसार अपने दायित्वों के निर्वहन हेतु आवश्यक सभी अधिकार प्राप्त होंगे।

आदेशानुसार,

प्राचार्य

  
KAMLAKANT SHUKLA INSTITUTE  
देवरी रोड, भाटापारा (छ.ग.)